



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276865
CG-DL-E-06102026-276865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5210]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2026/आश्विन 9, 1948

No. 5210]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2026/ASVINA 9, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5419(अ).— केन्द्रीय सरकार को, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एल.पी.जी. के परिवहन के लिए कंडला (गुजरात) से गोरखपुर(उत्तरप्रदेश) एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आइ.एच.वी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित हैं, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के सबन्ध में श्रीमति ज्योतिबेन रविभाई गोहेळ सक्षम प्राधिकारी और उप कलेक्टर (भाचाउ), प्रांत कार्यालय, पहली मंजिल, सिविल कोर्ट के पास, भाचाउ-३७०१४० को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची				
तहसील – गांधीधाम	जिला: – कच्छ	राज्य: गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वे न. / गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
मिठिरोहर	89/2	00	07	43
चुडवा	146/पै1	00	15	17
	161	00	05	86

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-भाग (1)/ई-45901]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5419(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG in the State of Gujarat, a pipeline should be laid for implementing Kandla (Gujarat) – Gorakhpur (Uttar Pradesh) LPG pipeline (KGPL) project by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Mrs Jyotiben Ravibhai Gohel Competent Authority and Deputy Collector (Bhachau), Prant Office, 1st Floor, Near Civil Court, Bhachau-370140 within twenty one days from the date on which the copies of this notification Issued under Sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE				
TEHSIL – GANDHIDHAM	DISTRICT – KUTCH	STATE- GUJARAT		
Name of the Village	Survey No..	Area		
		Hectare	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5
MITHI ROHAR	89/2	00	07	43
CHUDWA	146/P1	00	15	17
	161	00	05	86

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part (1)/E-45901]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.